प्रेस नोट दिनांक 22.11.2026 जनपद प्रतापगढ़

थाना मान्धाता, जनपद प्रतापगढ़।

थाना मान्धाता पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना मान्धाता पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय ए0सी0जे0एम0 महोदय कक्ष संख्या 13 जनपद प्रतापगढ़ द्वारा जारी वारण्ट मु0अ0सं0 20/1998 धारा 323/504/506 भादवि से सम्बंधित 01 वारण्टी अभियुक्त घुरवा उर्फ राममूरत पुत्र रामचन्द्र उर्फ बढ़ई चमार निवासी ग्राम मझिगवां थाना मांधाता जनपद प्रतापगढ़ उम्र 45 वर्ष को घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:
1. घुरवा उर्फ राममूरत पुत्र रामचन्द्र उर्फ बढ़ई चमार निवासी ग्राम मझिगवां थाना मांधाता जनपद प्रतापगढ़ उम्र 45 वर्ष।

पुलिस टीम:
उ0नि0 अनूप यादव मय हमराह हे0का0 अंजनी यादव , थाना मान्धाता, जनपद प्रतापगढ़।

थाना हथिगवां, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में थाना हथिगवां पुलिस की बड़ी कार्यवाही, श्रीराम कथा कार्यक्रम में हुई मोबाइल छिनैती की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

थाना हथिगवां पुलिस द्वारा छिनैती की घटना से संबंधित अभियुक्त रिंकू सरोज को गंगा पुल धीमी के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से झपटमारी कर छीना गया 01 अदद सैमसंग कम्पनी का मोबाइल फोन बरामद किया गया। बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई।

घटना का संक्षिप्त विवरण-
दिनांक 20.11.2026 को वादी निवासी ग्राम मल्ला का पुरवा, थाना हथिगवां, जनपद प्रतापगढ़ द्वारा तहरीर दी गई कि वह ग्राम बेती में आयोजित श्रीराम कथा कार्यक्रम से वापस लौट रहा था। कथास्थल के मुख्य द्वार के बगल से गांव जाने वाले रास्ते पर अपनी मोटरसाइकिल के पास मोबाइल लेकर जा रहा था, तभी पीछे से आए दो व्यक्तियों द्वारा झपट्टा मारकर उसका सैमसंग कम्पनी का मोबाइल फोन छीन लिया

गया तथा गांव की तरफ भाग गए। गांव के लोगों से पूछताछ करने पर उक्त घटना में जतिन सरोज पुत्र सदाशिव निवासी ग्राम बेती, थाना हथिगवां, जनपद प्रतापगढ़ एवं उसके रिश्तेदार रिंकू सरोज निवासी ग्राम नौढिया, थाना कोखराज, जनपद कौशांबी का नाम प्रकाश में आया। इस संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 263/2026 धारा 304(2) बीएनएस बनाम 02 नामजद अभियुक्त का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) श्री बृजनन्दन राय एवं क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री शिवनारायण वैस के कुशल पर्यवेक्षण में थाना हथिगवां के उ0नि0 वीरेन्द्र कुमार मय हमराह का0 साहिल पटेल एवं का0 अरुण कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र एवं संदिग्ध व्यक्ति/वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर गंगा पुल धीमी के पास घेराबंदी कर अभियुक्त रिंकू सरोज को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की तलाशी के दौरान उसके कब्जे से मुकदमा उपरोक्त में झपटमारी कर छीना गया 01 अदद सैमसंग कम्पनी का मोबाइल फोन बरामद हुआ।

पूछताछ का विवरण-
पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्त रिंकू सरोज ने बताया कि दिनांक 20.11.2026 को ग्राम बेती में आयोजित श्रीराम कथा कार्यक्रम में काफी भीड़ थी। इसी भीड़ का फायदा उठाकर उसने अपने रिश्तेदार जतिन सरोज पुत्र सदाशिव निवासी ग्राम बेती, थाना हथिगवां, जनपद प्रतापगढ़ के साथ मिलकर एक व्यक्ति का मोबाइल फोन झपट्टा मारकर छीन लिया था। आज वह उक्त मोबाइल फोन को बेचने के लिए जा रहा था, तभी पुलिस ने उसे पकड़ लिया। अभियुक्त द्वारा यह भी बताया गया कि पुलिस के डर से उसका साथी जतिन सरोज कहीं भाग गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1. रिंकू सरोज पुत्र अर्जुन सरोज, निवासी ग्राम नौढिया, थाना कोखराज, जनपद कौशांबी, उम्र करीब 19 वर्ष।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 वीरेन्द्र कुमार, का0 साहिल पटेल एवं का0 अरुण कुमार, थाना हथिगवां, जनपद प्रतापगढ़।

थाना नवाबगंज जनपद प्रतापगढ़।

हत्या के प्रयास के अभियोग में वांछित 02 अभियुक्त अमित व देवेन्द्र गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास के अभियोग में वांछित 02 अभियुक्तों अमित व देवेन्द्र को गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 03.11.2026 को ग्राम राजा का पुरवा, कड़रौ, थाना नवाबगंज, जनपद प्रतापगढ़ में मकान में रखी ईंटों को अरुण कुमार एवं सरजू प्रसाद द्वारा उठाकर ले जाने को लेकर विवाद हुआ। आरोप है कि मना करने पर विपक्षीगण द्वारा एकराय होकर लाठी-डंडा एवं कुल्हाड़ी से लैस होकर वादी के भाई के साथ मारपीट की गई। बीच-बचाव करने पहुंचे वादी एवं उनके परिजनों के साथ भी विपक्षीगण द्वारा मारपीट कर घायल कर दिया गया। इस दौरान विपक्षीगण द्वारा गाली-गलौज एवं जान से मारने की धमकी दी गयी । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना नवाबगंज पर मु0अ0सं0 182/26 धारा 115 (2) / 352/351 (3)/190/191(2)/191(3)/109 (1) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में अपराध एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) श्री बृजनन्दन राय एवं क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री शिव नारायन वैस के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी नवाबगंज श्री मनोज कुमार तोमर के नेतृत्व में उ0नि0 गुलाब सिंह मय हमराह उ0नि0 कालीदीन व हे0का0 शिशुपाल सिंह के द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित अभियुक्त एवं रात्रि गश्त/चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 182/26 धारा 115 (2) / 352/351 (3)/190/191(2)/191(3)/109 (1) बीएनएस थाना नवाबगंज जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 02 नफर अभियुक्तगण 1. अमित पुत्र सरजू प्रसाद उम्र करीब 18 वर्ष 2. देवेन्द्र उर्फ राजनारायण पुत्र द्वारिका प्रसाद पटेल उम्र 19 वर्ष निOगण राजा का पुरवा कड़रौ थाना नवाबगंज जनपद प्रतापगढ़ को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1. अमित पुत्र सरजू प्रसाद उम्र करीब 18 वर्ष निOगण राजा का पुरवा कड़रौ थाना नवाबगंज जनपद प्रतापगढ़।
2. देवेन्द्र उर्फ राजनारायण पुत्र द्वारिका प्रसाद पटेल उम्र 19 वर्ष निOगण राजा का पुरवा कड़रौ थाना नवाबगंज जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 गुलाब सिंह मय हमराह उ0नि0 कालीदीन व हे0का0 शिशुपाल सिंह थाना नवाबगंज जनपद प्रतापगढ़।

थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़।

थाना लीलापुर पुलिस द्वारा 03 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना लीलापुर पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट नं0 13 प्रतापगढ़ द्वारा जारी वारण्ट केस नं0 1705108/2004 मु0अ0स0 40/2001 धारा 406/411 भादवि थाना रानीगंज से सम्बन्धित 01 वारण्टी उदयराज वर्मा पुत्र रघुनाथ वर्मा उम्र 52 वर्ष नि०ग्राम गहरी थाना लीलापुर, प्रतापगढ़ व मा0 न्यायालय सिविल जज JD/FTC

जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट नं0 3 द्वारा जारी आनलाईन वारण्ट केस नं0 12556 / 23 मु0अ0स0 118/22 धारा 427/504/506 भादवि थाना लीलापुर से सम्बन्धित 02 नफर महिला वारण्टी 1. सीता देवी पत्नी राममिलन नि०ग्राम पीरुपुर थाना लीलापुर, प्रतापगढ़ उम्र करीब 40 वर्ष 2. चन्द्रावती पत्नी रामलोचन वर्मा नि०ग्राम पीरुपुर थाना लीलापुर, प्रतापगढ़ उम्र करीब 33 वर्ष को घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:

1. उदयराज वर्मा पुत्र रघुनाथ वर्मा नि०ग्राम गहरी थाना लीलापुर, प्रतापगढ़ उम्र 52 वर्ष।
2. सीता देवी पत्नी राममिलन नि०ग्राम पीरुपुर थाना लीलापुर, प्रतापगढ़ उम्र 40 वर्ष प्रतापगढ़।
3. चन्द्रावती पत्नी रामलोचन वर्मा नि०ग्राम पीरुपुर थाना लीलापुर, प्रतापगढ़ उम्र करीब 33 वर्ष प्रतापगढ़ ।

पुलिस टीम:

1. थानाध्यक्ष मय हमराह का0 आशुतोष सिंह, का0 श्याम जनम प्रसाद व म0का0 नैना सिंह, थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़।
2. उ0नि0 दीपक कुमार यादव मय हमराह प्रमेश यादव, का० राकेश कुमार यादव , थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़।

थाना देल्हूपुर, जनपद प्रतापगढ़।

थाना देल्हूपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना देल्हूपुर पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ द्वारा जारी गैर जमानतीय वारंट (NBW), वाद संख्या 6977/2023, मु0अ0सं0 57/2022 धारा 323/504/506 भादवि से संबंधित 01 वारण्टी अभियुक्त मुराद पुत्र जमा निवासी ग्राम तौकलपुर, थाना देल्हूपुर, जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 50 वर्ष को उसके घर से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः

1. मुराद पुत्र जमा निवासी ग्राम तौकलपुर, थाना देल्हूपुर, जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 50 वर्ष।

पुलिस टीमः

उ0नि0 अखिलेश सिंह, का0 गोलू यादव का0, गौरव थाना देल्हूपुर, जनपद प्रतापगढ़।

थाना जेठवारा, जनपद प्रतापगढ़।

थाना जेठवारा पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना जेठवारा पुलिस द्वारा मा0 अपर सिविल जज (जू0), कक्ष संख्या-24, प्रतापगढ़ द्वारा जारी गैर जमानतीय वारंट (NBW), OLD CRIMINAL CASE NO. 2000170/2004, मु0अ0सं0 29/2003 धारा 498/323/504/506 भादवि से संबंधित 01 वारण्टी अभियुक्त दूधनाथ पाल पुत्र स्व0 जेठूराम निवासी ग्राम जूड़ापुर बहुआ, थाना जेठवारा, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 50 वर्ष को उसके घर से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1. दूधनाथ पाल पुत्र स्व0 जेठूराम निवासी ग्राम जूड़ापुर बहुआ, थाना जेठवारा, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 50 वर्ष।

पुलिस टीम-
उ0नि0 शहीद खान, का0 शोभनाथ राम एवं का0 दिनेश कुमार, थाना जेठवारा, जनपद प्रतापगढ़।

थाना अन्तू, जनपद प्रतापगढ़।

थाना अन्तू पुलिस द्वारा हत्या के अभियोग में नामजद 01 अभियुक्ता गिरफ्तार एवं 01 बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना अन्तू पर पंजीकृत मु0अ0सं0 296/2026 धारा 103(1) बीएनएस से संबंधित विवेचना के दौरान वादी मुकदमा द्वारा अपनी पत्नी संगीता वर्मा एवं नाबालिग पुत्री की घटना में संलिप्तता के संबंध में जानकारी देते हुए उनके घर में मौजूद होने की बात बताई गई। उक्त सूचना पर विवेचक वरिष्ठ उ0नि0 अंकुर कैथवास मय पुलिस टीम एवं वादी मुकदमा ग्राम कल्याणपुर मौरहा पहुंचे, जहां वादी की निशानदेही पर घर के अंदर कमरे से नामजद महिला अभियुक्ता संगीता वर्मा पत्नी दिनेश कुमार वर्मा निवासी ग्राम कल्याणपुर मौरहा, थाना अन्तू, जनपद प्रतापगढ़ को गिरफ्तार किया गया तथा एक बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया।

गिरफ्तार महिला अभियुक्ता का विवरण-
1.संगीता वर्मा पत्नी दिनेश कुमार वर्मा निवासी ग्राम कल्याणपुर मौरहा, थाना अन्तू, जनपद प्रतापगढ़।
2. 01 बाल अपचारी

पुलिस टीम-
वरिष्ठ उ0नि0 अंकुर कैथवास का0 राजेश कुमार का0 हर्ष पाण्डेय म0का0 प्रीति यादव म0का0 सर्वेश धनगर चालक का0 अंकित कुमार थाना अन्तू, जनपद प्रतापगढ़।